(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1492/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 252/अपील/14-15.

---

1. रमेश चन्द्र आ. किशोरीलाल
   निवासी बावई तहसील बावई,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
2. रामसेवक आ. हीरालाल
   निवासी ग्राम ऑखमऊ, तह. बावई
   जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

जमना बाई पुत्री हीरालाल कीर,
निवासी ग्राम पनवासा, तह. बावई
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शैलेष दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/14/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ऑखमऊ तहसील बावई स्थित भूमि खसरा नंबर 96/2 रकबा 0.340 हैक्टेयर भूमि में जमनाबाई पुत्री श्री हीरालाल सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उनके द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, बावई द्वारा भूमि का सीमांकन किया गया तथा तहसीलदार, बावई के प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि पर प्रश्नाधीन भूमि के पड़ोसी रामसेवक वल्द हीरालाल, रमेशचन्द्र वल्द किशोरीलाल का अतिक्रमण होना पाया गया। संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार, बावई के न्यायालय में अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु याचना की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 14/अ-70/11-12 दर्ज कर दिनांक 02.09.2014 को अनावेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.07.2015 स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह ध्यान नहीं दिया है कि अनावेदिका के पिता के द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि को दिनांक 18.09.1973 को विक्रय की जा चुकी है और विक्रय दिनांक से ही परसराम वल्द अमरचंद का कब्जा रहा और परसराम वल्द अमरचंद को भूमि को आवेदक क्र. 1 की मां से वर्ष 1969 में विक्रय का इकरारनामा किया है। इस तरह से यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त वर्णित भूमि पर वर्ष 1973 से अनावेदिका एवं उसके पिता का कब्जा नहीं रहा है। संहिता की धारा 250 में दो वर्ष के अंदर के कब्जे को हटाने के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालयों को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त न होने के पश्चात् भी प्रकरण में संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अनावेदिका के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में वर्ष 2011 में सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनावेदिका को वर्ष 2011 से सीमांकन के पश्चात् दो वर्ष के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पुन: सीमांकन कराया गया और पुन: सीमांकन को आधार बनाकर धारा 250 का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य था।

(3) आवेदकगण का भूमि पर कब्जा लगातार लंबे समय से होने के कारण तहसीलदार को अनावेदिका को व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण के संबंध में निर्देशित करना था। धारा 250 के तहत कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। आयुक्त द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भूमि का सीमांकन दो बार हुआ है। अनावेदिका को पूर्व में वर्ष 2011 में जो सीमांकन के पश्चात् वर्ष 2012 में पुन: सीमांकन का कार्य कराया गया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालयों के द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध कार्यवाही की श्रेणी में आती है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) तहसीलदार द्वारा प्रकरण की कार्यवाही में इन आवेदकगण को अनावेदिका एवं अन्य साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में आदेश पत्रिका में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण को नियत किया गया है। आदेश 18 नियम 4 के शपथपत्र प्रस्तुत होने के आधार मानकर निम्न न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण को सिद्ध करने के लिए आवेदकगण को भी विधिवत अवसर प्रदान किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है और बगैर साक्षी को प्रतिपरीक्षण के अवसर को निम्न न्यायालय के द्वारा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 250 का प्रमाणित माना है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) निम्न न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक की जो साक्ष्य हुई है, वह अवलोकनीय है, जिसमें राजस्व निरीक्षक के द्वारा यह कहा गया है कि मेरे द्वारा सीमांकन का कार्य नहीं किया गया है। स्वयं राजस्व निरीक्षक की साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि मौके पर भूमि सीमांकन के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। दूषित सीमांकन के आधार पर कोई भी कार्यवाही कब्जा दिलाये जाने के संबंध में नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा कब्जे के संबंध में कोई भी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है कि किस स्थान पर किस क्षेत्र पर आवेदकगण के द्वारा कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में दूषित सीमांकन के

आधार पर की गई कार्यवाही के आधार पर तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध आदेश हो जाता है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) निम्न न्यायालय तहसीलदार द्वारा इन आवेदकगण को सुनवाई का विधिवत अवसर न देकर जल्दबाजी में विधि की प्रक्रिया के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के द्वारा की गई है। दोनों ही निम्न न्यायालयों के द्वारा तहसीलदार के न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन, अध्ययन किये बगैर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण का यह कथन कि निम्न न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई, जो निरस्त योग्य है, आवेदकगण का यह कथन पूर्णत: निराधार है, क्योंकि प्रकरण में वर्णित प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन कार्य या सीमांकन आदेश को आवेदकगण द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, न ही कोई आपत्ति या अपील या रिवीजन किया गया। ऐसी स्थिति में सीमांकन पर धारा 250 के प्रकरण या अपील में आक्षेप किया जाना स्वीकार योग्य नहीं है।

(2) आवेदकगण का यह कथन कि अनावेदिकाके पिता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया जा चुका है और इकरारनामा के आधार पर आवेदकगण अनेक वर्ष से काबिज काश्तरत थे। उक्त कथन मनगढंत व निराधार है, ऐसा कोई प्रमाणित व वैधानिक दस्तावेज या साक्ष्य आवेदकगण द्वारा निम्न न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, जिसके आधार पर वह प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा बनाये रखने का अधिकारी हो। अर्थात् आवेदकगण की उपरोक्त याचिका असत्य व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आवेदकगण का यह कहना कि अनावेदिका ने वर्ष 2011 में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया था, किंतु दो वर्ष के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किया और पुन: सीमांकन के आधार बनाकर 250 का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण का यह कथन पूर्णत: असत्य है। वास्तविकता में वर्ष 2011 के सीमांकित भूमि पर आवेदकगण का

अवैध कब्जा करना पाया गया था, जिसके आधार पर अनावेदिका के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप सही है तथा उपरोक्त याचिका निराधार है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदकगण द्वारा यह कथन कि वह भूमि पर लगातार समय से कब्जारत था। यदि ऐसा था तो वर्ष 2011 के सीमांकन दस्तावेज में आवेदकगण का कब्जा अंकित होता, किंतु ऐसा नहीं हुआ और लगातार कब्जा होने का कोई भी प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत भी नहीं किया गया।

(5) आवेदकगण का यह कथन कि निम्न न्यायालय ने साक्षियों को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया, जबकि पर्याप्त अवसर दिया गया था। संलग्न निम्न न्यायालय के प्रकरण की आदेशिका से स्पष्ट है।

(6) आवेदकगण द्वारा कथन में राजस्व निरीक्षक के कथन व कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, जिसका अधिकार आवेदकगण को नहीं है, क्योंकि सीमांकन पर आपत्ति या रिवीजन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में बार बार सीमांकन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(7) आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया था, जो कि संलग्न प्रकरण से स्पष्ट होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूक्ष्मता से अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन कर विधिवत आदेश पारित किया गया।

(8) अनावेदिका की ओर से प्रमाणित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गई थी, जो कि प्रकरण संलग्न है, जबकि आवेदकगण की ओर से कोई भीं वैधानिक या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

(9) आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष को किसी भी प्रमाणित दस्तावेज या साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाये हैं कि वे सन् 1973 से प्रश्नाधीन भूमि पर किसी वैधानिक आधार पर काबिज थे। उनके द्वारा यह कहना सरासर असत्य व बेबुनियाद है कि वे सन् 1973 से भूमि पर काबिज थे। या क्रय की थी क्रय विगत 39 साल में बैनामा क्यों नहीं कराया अथवा खसरा रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज भी नहीं कराया गया। आवेदकगण ने ऐसी कोई भी साक्ष्य या खसरा रिकॉर्ड या प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया, जिसमें आवेदकगण का कब्जा दर्ज रहा हो। आवेदकगण का आधार पूर्णतः असत्य है और यह कहना कि प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व न्यायालय को धारा 250 के तहत दो वर्ष के अंदर कब्जा हटाने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है और संहिता के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है, यह

भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि निम्न न्यायालय में अनावेदिका द्वारा धारा 250 के आवश्यक तत्वों को प्रमाणित किया गया था, जिसके तहत प्रस्तुत वर्ष 2011 के सीमांकन के दस्तावेज से यह प्रमाणित किया कि अनावेदिका भूमि पर काबिज थी और आवेदकगण वर्ष 2011 में प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होना नहीं पाया गया और इसके बाद भूमि पर विवाद कर अनावेदिका को बेकब्जा किया गया, अनावेदिका द्वारा पुन: सीमांकन कराने पर वर्ष 2012 के सीमांकन में आवेदकगण का अवैध कब्जा होना पाया गया, जिसके आधार पर अनावेदिका का धारा 250 के तहत आवेदन दो वर्ष की समयावधि में होना पाया गया और इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के आदेश विधि एवं न्याय प्रक्रिया के अनुरूप है।

(10) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 250 के प्रावधानों को समुचित एवं न्यायिक विश्लेषण करते हुए आदेश पारित किया है। अनावेदिका ने फील्ड बुक, नक्शा प्रतिवेदन पंचनामा सूचना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय ने भी सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश न्यायिक पाये जाने कोई भूल नहीं की है। आवेदकगण ने जानबूझकर अनावेदिका को परेशान कर उसकी कृषि भूमि ओने पोने दाम पर खरीदने की मंशा से विवाद किया व कब्जा रखना चाहता है, जो कि विधि विरूद्ध है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित होना पाया गया है। अत: तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का अवैध कब्जा हटाकर अनावेदिका का कब्जा पुर्नस्थापन कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

0/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017, अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 एवं तहसीलदार, बावई द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर